193

(31)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१७ पुनराविलोकन (रिव्यू)

दिनांक ५-१-१७ को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

१- गजानन्द राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर,
२- मोहम्मद सिद्दीक पुत्र श्री सरफुद्दीन,
निवासीगण- कस्बा श्योपुर, तहसील व
जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन --------- प्रतिप्रार्थीगण

पुनराविलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल -मध्यप्रदेश (पीठासीन माननीय श्री एम०के० सिंह, सदस्य) दिनांकी २१-१२-१६ अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ६२५-दो/०७ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, विवादित आदेश के पद क्रमांक ३ में प्रार्थीगण की आपत्तियों का उल्लेख किया गया है किन्तु इन आपत्तियों पर समुचित विचार किये बिना ही अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किये जाने में भूल की गई है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

३- यह कि, कथित सीमांकन के सम्बन्ध में निगरानी मेमो के पद क्रमांक २ एवं ३ में विस्तार से उल्लेख किया गया है इन आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है एवं अभिलेख के विपरीत मत व्यक्त किया गया है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

४- यह कि, विनियमन/समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी समुचित विचार नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नाविलोकन 69/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-1-17	यह पुनार्विलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 925/दो/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण के अभिभाषक ने न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि कब्जा श्योपुर के शमशान घाट की 16 बीघा भूमि का सीमांकन कर अवैध अतिक्रमण हटाया जाये। उक्त शिकायत के क्रम में शमशान की भूमि के सीमांकन के निर्देश दिये गये। तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 55/2006–07/अ–12 में दिनांक 11.08.2007 द्वारा दल गठित कर शमशान की कब्जा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 803/1, 805, 806, 815 एवं 817 का सीमांकन कर, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 16.08.2006 को तहसीलदार श्योपुर को प्रेषित किया। उक्त सीमांकन के विरूद्ध आवेदकगण ने कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गयी। जो प्रकरण क्रमांक 09/2006–07 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 28.05.07 द्वारा निरस्त की गयी। कलेक्टर, श्योपुर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 925/दो/2007 प्रस्तुत की गयी थी,	

निगरानी प्रकरण क्रमांक 925/दो/2007 प्रस्तुत की गयी थी, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 से निरस्त की गयी थी, इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान पुनार्विलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3— पुनार्विलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 में आवेदकगण द्वारा की गयी आपत्तियों का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त आपत्तियों पर समुचित विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जो अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि की है। निगरानी मेमों में पद क्रमांक 2 व 3 में विस्तार से आपत्तियॉ की गयी थी, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, साथ ही साथ प्रतिवेदन पर समुचित विचार नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 36/2010 कमला देवी विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य आदि में जो आदेश दिनांक 07.03.2011 को पारित किया था, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। निगरानी प्रकरण में सूची के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। इन दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं हुआ है। सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये है उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3653/2009 एहमद खॉन बनाम मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 15.09.2010 दृष्टिओझल हुआ है। ऐसी स्थिति में के आदेश में अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से

गया। अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से व्यक्त किया गया। कि प्रकरण में पुर्नविलोकन का कोई सवल आधार न होने से पुर्नविलोकन आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं मेरे द्वारा इस न्यायालय के पूर्व निगरानी क्रमांक 925/दो/2007 मे पारित आदेश पर विचार किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें अभिलेख तथा निगरानी में उठाये गये आधारो पर विधिवत् विचार नहीं हुआ साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश भी दृष्टिओझल हुये है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में यह वर्तमान पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर पूर्व निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 इसी स्थिर पर निरस्त किया जाता है। इसके पश्चात् आवेदकगण एवं अनावेदकगण के अभिभाषको को निगरनी प्रकरण क्रमांक 925/दो/2007 में गुण दोष पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने सीमांकन से पूर्व आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी। सूचना पत्र में तथा कथित हस्ताक्षर किये गये है। वह आवेदकगण के नहीं है, इसके अलावा सूचना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण ने सूचना पत्र लेने से मना भी किया। जबकि वास्तविक रूप से सूचना पत्र आवेदकगण को कभी भी प्राप्त नही हुये ऐसी स्थिति में तथाकथित सूचना पत्र के आधार पर जो सीमांकन कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् एवं उचित नहीं है। आवेदकगण ने अधीनस्थ कलेक्टर के न्यायालय में धारा 32 का आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया सीमांकन रिपोर्ट

का आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया सीमांकन रिपोर्ट के साथ साथ तहसीलदार श्योपुर ने प्रतिवेदन दिया है जिसमें समस्त प्रकार के अतिक्रमणों का ब्यौरा विस्तृत रूप से दिया है तथा आवेदकगण के संबंध में प्रतिवेदन कण्डिका 5 में अतिक्रमण हटाने के कुछ विकल्प सुझाये है। जिसमे आवेदकगण के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 801/1 रकवा 9 विस्वा विनिमय समायोजन करना अथवा का मुआवजा आवेदकगण को अदा करने तथा विकल्पो पर विचार करके आवेदकगणो का अतिक्रमण हटाया जाना उचित होगा। उल्लखित किया गया था तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को पत्र क्रमांक क्यू/जॉच/2006 श्योपुर दिनांक 23.08.2006 से सी.एम.ओ. नगर पालिका को प्रेषित किया गया जिसमे तहसीलदार के प्रतिवेदन की कण्डिका 5 में बताये गये विकल्पो पर विचार का आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करके बावत् निर्देश दिये गये कि इस बावत् नगर पालिका श्योपुर द्वारा अब तक की कार्यवाही का प्रतिवदेन आहूत किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर न्यायालय ने इस आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया। प्रकरण में विधिवत् न तो जॉच की गयी और न ही नाप विधिवत् की गयी है। सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामें में सीमांकन दल के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही किसी भी दल द्वारा सीमांकन किया गया है। क्योंकि यदि सीमांकन गठित दल द्वारा किया जाता, जो निश्चित ही पंचनामें, फील्ड बुक में हस्ताक्षर होते। आवेदकगण के संबंध में प्रतिवेदन की कण्डिका 5 में कुछ सुझाव विकल्प बताये गये थे कि भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकवा 9 विस्वा का विनियम समायोजन करना तथा उसका मुआवजा आवेदकगण को अदा करने तथा विकल्पों पर

होगा। किन्तु प्रतिवेदन पर विधिवत विचार किये बिना, जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं है। उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा कोई विधिवत विचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपास्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक शासन की ओर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है। कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये है, वह अपने स्थान पर विधिवत एवं उचित होने से सही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एव आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2016 व 14.08.2016 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय, कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उठाये गये तथ्यों पर विधिवत् विचार नहीं किया गया है। क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही आवेदकगण की उपस्थिति में तथा उन्हे व्यक्तिगत सुनवाई अवसर दिये बिना, आदेश पारित किया है। आवेदकगण को जो सूचना–पत्र में यह उल्लेख किये गये थे, उनपर उनके हस्ताक्षर नहीं है तथा सूचना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण ने सूचना–पत्र लेने से इंकार किया है, जबकि इस संबंध में गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में सूचना–पत्र को विधिवत् नहीं माना सकता। इसके अतिरिक्त सीमांकन गठित दल द्वारा किया जाना प्रमाणित नहीं है क्योंकि सीमांकन पंचनामा, फील्ड बुक व पंचनामे पर दल क सभी

सीमांकन पंचनामा, फील्ड बुक व पंचनामे पर दल क सभी सदस्यों के नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमांकन दल द्वारा किया जाना स्पष्ट नहीं है। प्रतिवेदन की कण्डिका 5 में जो विकल्प दिये गये थे, उनपर कोई विचार नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो जिनका उल्लेख पूर्व के पदो में किया गया है। पर भी विचार किया जाकर आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत होगा। उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदन पर अभी विचार होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये है, वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नाविलोकन स्वीकार की जाती है कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/2006—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.05.2007 एवं तहसीलदार जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/06—07/अ—12 में की गयी समस्त कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांक 13.08.2006 व 14.08.2006 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं इस आदेश की एक प्रति निगरानी प्रकरण में संलग्न किया है।

सदस्य